41–(08)–52–2018

पटना में दिनांक–07 अगस्त, 2018 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1.	बिहार चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के वर्दी भत्ता में वृद्धि कर उसे 5000/–(पाँच हजार) रूपये प्रति वर्ष किये जाने की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	श्री संजय कुमार, बिहार सचिवालय सेवा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी (वरीयता क्रमांक–2670), गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

4.	बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994–सहपठित –बिहार वित्त अधिनियम, 2011, 2013, 2014 एवं 2015 की विभिन्न धाराओं और उनके अन्तर्गत निर्मित अनुसूचियों में संशोधन तथा Ex-Showroom Price पर करारोपण के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5.	वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत अतिथिगृह पटना के एनेक्सी भवन (जी+5), स्टाफ क्वार्टर (जी+3) एवं डोरमेट्री (जी+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹30.50 करोड़ (तीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

6.	षोडश बिहार विधान सभा के दशम्–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 189वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

7. कोसी बराज के उर्ध्वप्रवाह में 52 कि०मी० तक (नेपाल प्रभाग) तथा अधोप्रवाह में 125 कि०मी० तक (भारतीय प्रभाग) कोसी नदी का बाढ़ अवधि के पश्चात् प्रतिवर्ष, पाँच वर्षों तक, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (टोपोग्राफिकल सर्वे) कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 695.238 लाख (छः करोड़ पंचानवे लाख तेईस हजार आठ सौ) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

8. जल संसाधन विभाग के अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2014 को निरस्त करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 को अंगीकृत करने की स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

वित्त विभाग

9. दिनांक–18.10.2017 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं०–13 पर विचारोपरांत निर्गत वित्त विभागीय संकल्प सं०–755, दिनांक–20.10.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक–01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों का दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन वितरण प्राधिकार (बैंक/कोषागार) के स्थान पर महालेखाकार, बिहार को सौंपने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10. "बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य–सीमन) विनियमावली, 1957" के विनियम–7(स) में संशोधन संबंधी अधिसूचना –प्रारूप की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

11. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित औकाफ के सम्पत्ति के विकास से संबंधित राज्य सम्पोषित 'बिहार राज्य वक्फ विकास योजना' एवं संबंधित मार्ग–निर्देशिका की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

12. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Nawada जिला के Rajauli प्रमंडल में Package No-BR-25R-653, NAWADA-KUNJ HL Bridge over Sakri river at Nawada to Kunj road पर पुल जिसकी लम्बाई–636.96 मी० तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि के निर्माण जिनकी प्राक्कलित राशि रू० 4046.451 लाख (चालीस करोड़ छियालीस लाख पैन्तालीस हजार एक सौ रूपये) मात्र है, पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

14. किशनगंज जिले में Hybrid Annuity Mode के तहत् ग्रामीण पथों के निर्माण के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए अन्य जिलों की भाँति पारम्परिक तरीके से "मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना" अन्तर्गत ग्रामीण पथों के पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित निर्माण कार्य करने के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

15. किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में 9405.16 लाख (चौरानवे करोड़ पाँच लाख सोलह हजार) रूपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति का प्रस्ताव है। — **15. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

16. दरभंगा एवं खगड़िया जिलाधीन कुशेश्वर स्थान (SH-56) से फुलतोड़ाघाट पथ के कि०मी० 0.00 से 22.90 तक के विभिन्न पथांशों (संलग्न परिशिष्ट–I) में मिट्टी कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट पथ कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, बचाव कार्य, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य, Compensatory Aforestation कार्य, Utility Shifting कार्य, भू–अर्जन कार्य, विविध कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित उन्नयन/निर्माण कार्य हेतु 26444.82 लाख (दो सौ चौंसठ करोड़ चौवालीस लाख बेरासी हजार) रूपये एवं पहुँच पथों सहित उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु 10465.00 लाख (एक सौ चार करोड़ पैंसठ लाख) रूपये अर्थात कुल 36909.82 लाख (तीन सौ उनहत्तर करोड़ नौ लाख बेरासी हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर संलग्न परिशिष्ट–I में योजनावार अंकित प्राक्कलित राशि हेतु पृथक–पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना। — **16. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

17. पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अंतर्गत धमदाहा नेहरू चौक से बिहारीगंज बॉडर भाया बरहारा कोठी पथ के कि०मी० 0.00 से 20.25 कि०मी० तक (कुल 20.25 कि०मी० पथांश) लम्बाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 7906.38 लाख (उनासी करोड़ छः लाख अड़तीस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. पथ प्रमंडल, पटना सिटी अंतर्गत पभेड़ी मोड़–रेडबिगहा –बाँसबिगहा पथ (कि०मी० 0.00 से 7.15) एवं लिंक पथ पभेड़ा (कि०मी० 0.00 से 2.60) तक (कुल 9.75 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3049.89 लाख (तीस करोड़ उनचास लाख नवासी हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

19. पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अंतर्गत रूपौली से विजयघाट भाया मोहनपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 24.50 तक (कुल 24. 50 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 6339.62 लाख (तिरसठ करोड़ उनचालीस लाख बासठ हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

20. पथ प्रमंडल, अररिया अंतर्गत सुर्यापुर (NH-327E)–तुरकैली–उदाहाट पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 12. 10 तक (कुल 12.10 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3639.70 लाख (छत्तीस करोड़ उनचालीस लाख सत्तर हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21. पथ प्रमंडल, पटना सिटी अंतर्गत SH-01 (मुसनापुर) से मसौढ़ी–नौबतपुर (छोटी टेंगरेला) पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 26.90 तक (कुल 26.90 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 7753.28 लाख (सतहत्तर करोड़ तिरपन लाख अठाईस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22.	पथ प्रमंडल, छपरा अंतर्गत छपरा–मढ़ौरा पथ से NH-102 रायपुरा भाया हसनपुर–हुसेपुर–देवी स्थान–मुंद–तरवार–बॉसडीह तक (कुल 18.40 कि०मी० पथांश) लम्बाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4298.26 लाख (बियालीस करोड़ अन्ठानवे लाख छब्बीस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**22.** स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

23.	वर्ष 2018 की अमरनाथ यात्रा के दौरान श्री अशोक महतो, पिता–खारो महतो, निवासी डुमरा मरांची, रामपुर, पटना की मृत्यु भूस्खलन के दौरान होने के आलोक में उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में।	**23.** स्वीकृत।

गृह विभाग

24.	आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय के अन्तर्गत अपराध अनुसंधान विभाग के आरक्षी प्रयोगशाला के लिए गठित बिहार राजकीय अंगुलांक परीक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2018 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	**24.** स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

25.	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका –2014 की कंडिका 5(ii), 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.7 में संशोधन एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अतिरिक्त 31800.00 लाख (तीन अरब अठारह करोड़) रूपये की स्वीकृति।	**25.** स्वीकृत।

विधि विभाग

26.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति डा० रवि रंजन को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में।	**26.** स्वीकृत।

विधि विभाग

27.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) नियमावली 2018 की स्वीकृति के संबंध में।	**27.** स्वीकृत।